

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

भवन एवं निर्माण समिति की 143वीं बैठक दिनांक 20 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे बोर्ड कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1	प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक	अध्यक्ष
2	इंजीनियर के. एन. राय	सदस्य
3	इंजीनियर अनिल कुमार जैन	सदस्य
4	इंजीनियर सर्वज्ञ कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5	इंजीनियर राजेन्द्र कल्ला	सदस्य
6	श्री राजीव कुमार, संस्थान अभियंता	सदस्य
7	प्रो. विवेक बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना)	स्थायी आमंत्रिती
8	प्रो. दीप्ति रंजन साहू, संकायाध्यक्ष (अवसंरचना)	स्थायी आमंत्रिती
9	प्रो. अम्बुज डी. सागर, उप-निदेशक (रणनीति एवं योजना)	विशेष आमंत्रिती
10	प्रो. सेशन श्रीरंगराजन, सह-संकायाध्यक्ष (अवसंरचना-1)	विशेष आमंत्रिती
11	प्रो. हर्षा कोटा, सह-संकायाध्यक्ष (अवसंरचना-2)	विशेष आमंत्रिती
12	प्रो. अमित गुप्ता, सह-संकायाध्यक्ष (अवसंरचना-3)	विशेष आमंत्रिती
13	श्री अतुल व्यास	सचिव

मद संख्या 1: दिनांक 26.12.2024 को आयोजित भवन एवं निर्माण समिति की 142वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में। समिति को सूचित किया गया कि 142वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। समिति ने परिचालित किए गए कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या 2: भवन एवं निर्माण समिति की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में।

मद संख्या और शीर्षक	142वीं भवन एवं निर्माण समिति (B&WC) के निर्णय	B&WC को सूचित वर्तमान स्थिति
142.1: भवन एवं निर्माण समिति द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा	सी.पी.डब्ल्यू.डी./एन.बी.सी.सी./आर.आई.टी.ई.एस. की प्रस्तुतियों में संबंधित कार्यसूची मदों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को दर्ज किया गया।	सी.पी.डब्ल्यू.डी./एन.बी.सी.सी./आर.आई.टी.ई.एस. द्वारा कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की गई। संबंधित कार्यसूची मदों में विवरण नोट किया गया।
142.4: मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. को आवंटित परियोजनाओं की लेआउट योजनाओं में परिवर्तन।	मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. को आवंटित परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं: 1. शैक्षणिक खंड-103 का निर्माण।	B&WC ने कार्यसूची मद सं. 4 के कार्यवृत्त में रिपोर्ट की गई स्थिति को नोट किया।

2. जे.एन.यू. गेट के पास संकाय आवास का निर्माण।

3. टाइप-सी आवास (02 संख्या खंड) ।

4. आई.पी. अपार्टमेंट खंड को हटाकर पुरुष छात्रावास का निर्माण।

5. पूर्वी परिसर में 3 IIIA खंड (24 घर) को हटाकर महिला छात्रावास का निर्माण।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने सूचित किया कि उन्हें आवंटित कार्यों के संबंध में निविदाएँ आमंत्रित की गईं तथा कार्यों का आवंटन दो पैकेजों में किया गया है। पैकेज I: परियोजनाएँ क्र. सं. 1-3 के लिए

पैकेज II: परियोजनाएँ क्र. सं. 4-5 के लिए।

आई.आई.टी. दिल्ली के निर्णयानुसार, भवनों की अनुमेय ऊँचाई में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मंज़िलों के लिए भवन योजनाएँ संशोधित की जा रही हैं।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने आगे सूचित किया कि वृक्ष कटान, पर्यावरण स्वीकृति आदि जैसे अन्य स्थानीय निकायों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियाँ संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त की जा रही हैं।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने भवन एवं निर्माण समिति को यह भी सूचित किया कि वृक्ष कटाई और पर्यावरणीय मंजूरी पर न्यायालयीन मामलों के कारण वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने यह भी सूचित किया कि वृक्ष कटाई अनुमतियों के लिए आवेदन को वन विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वन विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने पर, संस्थान ने मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. से परियोजना लेआउट को समायोजित करने की संभाव्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया। उद्देश्य यह था कि लेआउट को मौजूदा भवनों के पदचिह्नों के अनुरूप बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, जिससे वृक्षों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। इस संदर्भ में दिनांक 04.12.2024 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पांचों परियोजनाओं के वैकल्पिक लेआउट और वृक्ष कटाई अनुमति की आवश्यकता को न्यूनतम या समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई।

यह सूचित किया गया कि परियोजनाओं के मूल फुटप्रिंट संस्थान की अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित किए गए थे। वृक्ष कटाई से बचने के लिए फुटप्रिंट बदलने हेतु मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता होगी।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने आगे सूचित किया कि वृक्ष कटान के अस्वीकार होने के कारण परियोजना के स्थान में परिवर्तन होने पर मास्टर प्लान में संशोधन आवश्यक होगा।

साइट पर वृक्षों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन

	<p>आर.आई.टी.ई.एस. द्वारा भवन एवं निर्माण समिति को परियोजनाओं के लिए बेसमेंट के बिना अनुमानित संशोधित लेआउट्स प्रस्तुत किए गए। भवन एवं निर्माण समिति ने सुझाव दिया कि संशोधित योजनाओं में बेसमेंट को शामिल किया जा सकता है।</p> <p>भवन एवं निर्माण समिति ने नोट किया कि कार्य पैकेज I के लिए जुलाई 2023 में और पैकेज II के लिए जनवरी 2024 में आवंटित किए गए थे। हालांकि, अब तक की प्रगति नगण्य है और सदस्यों ने निर्माण में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के दौरान गतिविधियों के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए।</p> <p>मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. ने सूचित किया कि स्थानीय निकाय अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, संशोधित मास्टर प्लान और भवन योजना को प्रासंगिक स्थानीय निकायों से अनुमोदन के लिए एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	
<p>142.5: सोनीपत परिसर मास्टर प्लान के लिए मेसर्स बोस ब्रदर्स के साथ विवाद का निपटान</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति ने पिछली बैठक में मेसर्स बोस ब्रदर्स के साथ विवाद का समाधान खोजने की आवश्यकता के अनुरूप, एक उप-समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रो. पी.एस.एन. राव ने की। इस उप समिति में भवन एवं निर्माण समिति के दो सदस्य, श्री के.एन. राय</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति ने कार्यसूची मद सं. 7 के कार्यवृत्त में उल्लिखित स्थिति को नोट किया।</p>

और श्री ए.के. जैन भी शामिल थे, जिससे किए गए कार्य के भुगतान का निर्धारण किया जा सके। यह सूचित किया गया कि उप-समिति ने विशेष संस्तुतियाँ तैयार करने के लिए तीन बैठकें आयोजित कीं।

उप-समिति की पहली बैठक 10/09/24 को आयोजित की गई, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई और समिति ने सभी चालान, दावे और मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स के साथ किए गए पत्राचार को भेजने का अनुरोध किया ताकि व्यापक समीक्षा की जा सके और अंतिम भुगतान का आकलन किया जा सके।

अगली बैठक 04/10/24 को आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने मूल दस्तावेजों की भौतिक समीक्षा की, जिनमें मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स के इन्वॉइस और दावे शामिल थे, ताकि अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके और किए गए कार्य के लिए देय शुल्क का निर्धारण किया जा सके।

अंतिम बैठक 24/10/24 को आयोजित की गई, जिसमें उप-समिति ने किए गए कार्य के लिए देय शुल्क की संस्तुति की [संग्रह की प्रति परिशिष्ट-1 में दी गई है]। संस्तुतियों का सारांश निम्नलिखित है:

संस्तुतियाँ:

1. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क राशि. 27,68,565.00/- + लागू

जी.एस.टी. को आर्किटेक्ट परामर्शदाता को, विद्यमान अनुबंध सं. 1938 (2011-2012) के अंतर्गत मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स को आवंटित अतिरिक्त कार्य की वापसी के एवज़ में, उक्त परामर्श के इस भाग के संबंध में पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में प्रस्तावित किया जाए।

2. मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स द्वारा निम्नलिखित आशय का एक विधिवत् वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा:

“मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स यह वचन देता है कि संस्थान के लिए तैयार सभी डिज़ाइन संस्थान की अनन्य संपत्ति रहेंगे तथा उन्हें संस्थान को विधिवत् हस्तांतरित किया जाएगा। उक्त डिज़ाइनों का उपयोग केवल संस्थान द्वारा किया जाएगा तथा मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स द्वारा किसी अन्य प्रयोजन हेतु इनका उपयोग नहीं किया जाएगा।”

3. मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स द्वारा संस्थान के रिकॉर्ड एवं भावी उपयोग के लिए सभी ड्रॉइंग्स, दस्तावेज़, अनुमोदन तथा संपादनयोग्य (सी.ए.डी. आदि) एवं पी.डी.एफ. फाइलें, सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी दोनों रूपों में, संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएँ।

उपरोक्त चर्चाओं एवं निर्णयों के आधार पर, 20.11.2024 को मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स को समझौते का प्रस्ताव प्रदान करते हुए एक पत्र एवं ई-मेल प्रेषित किया गया। उक्त पत्र परिशिष्ट-2

	<p>में संलग्न है। इसके प्रत्युत्तर में मेसर्स बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स द्वारा पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की गई तथा विषय पर निर्णय लेने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया। भवन एवं निर्माण समिति को अवगत कराया गया कि इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है। संबंधित पत्र परिशिष्ट-3 में संलग्न है।</p> <p>भवन एवं निर्माण समिति ने विषय पर विस्तृत चर्चा की तथा यह निर्णय लिया कि चूँकि मेसर्स बोस ब्रदर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है और वे अपनी स्वीकृति प्रेषित करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर रहे हैं, अतः उप-समिति द्वारा निर्धारित समझौता राशि को, विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए, भविष्य में मेसर्स बोस ब्रदर्स द्वारा किसी अतिरिक्त दावे से बचाव हेतु, भुगतान किया जा सकता है।</p>	
<p>142.6: आर.के. पुरम परिसर में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण हेतु भवन योजनाएँ।</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति को सूचित किया गया कि 28.10.2024 को आर.के. पुरम एक्सटेंशन परिसर स्थित आवासीय अपार्टमेंट के डिज़ाइन एवं लेआउट को अंतिम रूप देने हेतु उपयोगकर्ता समिति का गठन किया गया।</p> <p>समिति की प्रथम बैठक 06.11.2024 को आयोजित की गई। इस बैठक में मेसर्स सुरेश गोयल एंड एसोसिएट्स के श्री संदीप गोयल द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के संबंध में अवधारणा प्रस्तुति दी गई।</p> <p>इसके पश्चात 19.11.2024 को दूसरी आंतरिक बैठक आयोजित की गई,</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति ने कार्यसूची मद सं. 6 के कार्यवृत्त में उल्लिखित स्थिति को नोट किया।</p>

जिसका उद्देश्य आर.के. पुरम भवन के बहुउद्देशीय उपयोग हेतु संस्थान की आवश्यकताओं को अंतिम रूप देना था। इस बैठक में पूर्व चर्चाओं के अनुरूप विकसित किए जाने वाली आवासीय इकाइयों की संख्या एवं उनके आकार का निर्धारण करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के दौरान समिति द्वारा भवन के संभावित उपयोगों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जिनमें आगंतुक संकाय सदस्यों, पोस्ट-डॉक्टरल शोधार्थियों, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों तथा अन्य संस्थागत आवश्यकताओं हेतु ट्रांज़िट आवास की व्यवस्था सम्मिलित थी।

विस्तृत विचार के उपरांत उपयोगकर्ता समिति ने विभिन्न विकल्पों को संस्थान की संकायाध्यक्ष समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। यह विषय 25.11.2024 को आयोजित संकायाध्यक्ष समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया [परिशिष्ट-4], जहाँ आवश्यकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

अंतिम रूप से निर्धारित इन आवश्यकताओं को लेआउट विकसित करने हेतु आर्किटेक्चरल परामर्शदाता को प्रेषित कर दिया गया है।

भवन एवं निर्माण समिति ने आर्किटेक्ट मेसर्स एस.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार-विमर्श किया तथा यह पाया कि कक्षों का आकार अपेक्षाकृत छोटा प्रतीत होता है, जिससे उनकी कार्यात्मक

उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। इस पर मेसर्स एस.जी.ए. ने अवगत कराया कि आवासीय इकाइयों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, उपयोगकर्ता से परामर्श कर कक्षों के आकार का अनुकूलन किया गया है।

भवन एवं निर्माण समिति ने त्वरित निर्माण हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों, जैसे प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण तकनीक, एल्युमिनियम स्लिप फॉर्म शटरिंग, मोनोलिथिक निर्माण, स्टील संरचना, समग्र निर्माण आदि पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा सुझाव दिया कि प्रस्तावित योजना के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का परीक्षण आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए।

भवन एवं निर्माण समिति का मत था कि प्रीकास्ट कंक्रीट प्रौद्योगिकी में रिसाव एवं सीपेज संबंधी गंभीर समस्याएँ पाई जाती हैं, अतः इस प्रकार की अधिक ऊंचाई वाली आवासीय परियोजनाओं, विशेषकर दिल्ली के भूकंप क्षेत्र-V में, यह उपयुक्त नहीं हो सकती। भवन एवं निर्माण समिति ने आगे सुझाव दिया कि त्वरित निर्माण हेतु एल्युमिनियम स्लिप फॉर्म मोनोलिथिक निर्माण तकनीक अथवा अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अन्वेषण, आई.आई.टी. दिल्ली के विशेषज्ञों से परामर्श कर किया जाए।

यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए त्वरित निर्माण की दृष्टि से उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों में से उपयुक्त निर्माण पद्धति की संस्तुति करने

	हेतु भवन एवं निर्माण समिति की एक उप-समिति का गठन किया जाए।	
142.7: सोनीपत परिसर स्थित 'साथी' भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति।	<p>भवन एवं निर्माण समिति को सूचित किया गया कि बी.ओ.जी. के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 09.03.2020 को ₹ 59.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य आरंभ करने की निर्धारित तिथि 10.01.2021 थी। निविदा हेतु अनुमानित लागत ₹ 49.59 करोड़ थी तथा परियोजना के लिए अब तक एन.बी.सी.सी. को ₹ 59.07 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।</p> <p>27.12.2023 को आयोजित 140वीं भवन एवं निर्माण समिति की बैठक में एन.बी.सी.सी. द्वारा ₹ 63.41 करोड़ का संशोधित परियोजना अनुमान (पी.ई.) प्रस्तुत किया गया था। तथापि, भवन एवं निर्माण समिति ने निर्देश दिया कि भौतिक प्रगति के अनुरूप उपलब्ध अनुपातिक राशि को ध्यान में रखते हुए परियोजना को मूल स्वीकृत राशि ₹ 59.38 करोड़ के भीतर ही पूर्ण करने हेतु सभी प्रयास किए जाएँ।</p> <p>मेसर्स एन.बी.सी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तथापि, लिफ्ट, एच.वी.ए.सी., अग्निशमन, फायर अलार्म, बी.एम.एस. आदि सेवाओं का एकीकरण कार्य प्रगति पर है। यह भी सूचित किया गया कि परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय अनुमोदन की स्वीकृत सीमा के भीतर ही पूर्ण कर लिया जाएगा।</p>	कार्यसूची मद सं. 3 का विवरण एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

	<p>भवन एवं निर्माण समिति को अवगत कराया गया कि उपयोगकर्ता द्वारा एच.वी.ए.सी. प्रणाली से उत्पन्न शोर के संबंध में शिकायत की गई है। भवन एवं निर्माण समिति ने एच.वी.ए.सी. प्रणाली/छत पर स्थापित ए.एच.यू. द्वारा उत्पन्न शोर पर चिंता व्यक्त की तथा निर्देशित किया कि शोर के स्तर को कम करने हेतु उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराया जाए, जिससे उपयोगकर्ता को कार्य के दौरान सुविधाजनक वातावरण प्राप्त हो सके।</p> <p>भवन एवं निर्माण समिति ने ओ.सी., स्थानीय निकाय का अनुमोदन, अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र, लिफ्ट संचालन लाइसेंस आदि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।</p> <p>मेसर्स एन.बी.सी.सी. ने भवन एवं निर्माण समिति के अवलोकनों को नोट किया तथा यह आश्वासन दिया कि परामर्शदाता एवं आई.आई.टी. दिल्ली के विशेषज्ञों से परामर्श कर व्यवहार्य समाधान लागू किया जाएगा।</p>	
<p>142.8: झज्जर परिसर, हरियाणा हेतु आवंटित भूमि का सरेंडर।</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति को शिक्षा मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई उन चिंताओं से अवगत कराया गया, जिनमें वर्तमान भूमि खंड में जलभराव की स्थिति तथा उसकी कम भार-वहन क्षमता के कारण संभावित अपव्यय की आशंका व्यक्त की गई थी।</p> <p>शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा पत्र संख्या 2-15/2023-TS-1-Part (1) दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से संस्थान को यह परामर्श दिया गया कि</p>	<p>कार्यसूची मद सं. 3 का विवरण एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।</p>

	<p>संबंधित गतिविधियों को सोनीपत स्थल पर स्थानांतरित करने की संभावना का अन्वेषण किया जाए तथा वैकल्पिक भूमि के संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया जाए। एन.बी.सी.सी. को निर्देशित किया गया कि 01/08/2024 तक समस्त प्रक्रिया स्थगित रखी जाए तथा विषय की समीक्षा एवं आई.आई.टी. दिल्ली के विस्तार परिसर हेतु वैकल्पिक भूमि के आवंटन के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए एक आंतरिक उपयोगकर्ता समिति का गठन किया जाए। भवन एवं निर्माण समिति ने परामर्श दिया कि शिक्षा मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप, सीमा दीवार से संबंधित निविदाएँ, जो एन.बी.सी.सी. के पास लंबित हैं, उन्हें निरस्त किया जाए ताकि विषय पर संभावित वाद-विवाद से बचा जा सके तथा संबंधित भूमि खंड को हरियाणा सरकार को सरेंडर किया जाए।</p>	
<p>142.9: आई.आई.टी. दिल्ली में समग्र एकीकृत आर्किटेक्चरल एवं इंजीनियरी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने हेतु आर्किटेक्चरल परामर्शदाताओं को पैनल में शामिल करने के लिए आर.एफ.पी.।</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 28.08.2024 को आई.आई.टी. दिल्ली परिसर हेतु आर्किटेक्चरल परामर्शदाताओं को पैनल में शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रो. पी.एस.एन. राव द्वारा की गई तथा श्री के.एन. राय एवं श्री ए.के. जैन विशेष आमंत्रिती के रूप में सम्मिलित थे। आयोजित बैठकों में कार्य का दायरा, मूल्यांकन मानदंड, पात्रता आवश्यकताएँ तथा संबंधित शर्तों पर</p>	<p>भवन एवं निर्माण समिति ने कार्यसूची मद सं. 5 के कार्यवृत्त में उल्लिखित स्थिति को नोट किया।</p>

	<p>विचार-विमर्श कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया गया। अंतिम आर.एफ.पी. 02.12.2024 को समिति सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितियों को परिचालित की गई।</p> <p>भवन एवं निर्माण समिति द्वारा आर.एफ.पी. के महत्वपूर्ण अनुभाग, अर्थात् अनुभाग-III (कार्य एवं सेवाओं का दायरा) तथा अनुभाग-IV (मूल्यांकन प्रक्रिया) पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।</p> <p>भवन एवं निर्माण समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित अनुसार अनुभाग-III एवं अनुभाग-IV को, श्री के.एन. राय द्वारा हार्ड कॉपी पर इंगित संशोधनों सहित, सम्मिलित किया जाए।</p>	
--	--	--

मद संख्या 3: भवन एवं निर्माण समिति द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा के संबंध में।

भवन एवं निर्माण समिति को संस्थान में वर्तमान में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से अवगत कराया गया। सी.पी.डब्ल्यू.डी., आर.आई.टी.ई.एस. तथा एन.बी.सी.सी. को सौंपे गए कार्यों की प्रगति का सारांश निम्नलिखित अनुभागों में प्रस्तुत किया गया।

3.1 सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ प्रगति पर कार्य।

मुख्य अभियंता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने उन्हें सौंपी गई सभी परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। इंजीनियरी खंड - 99बी एवं 99सी के निर्माण कार्य तथा इन खंडों हेतु सामान्य कार्यालय फर्नीचर कार्य की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने भवन एवं निर्माण समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इंजीनियरी खंड - 99बी एवं 99सी हेतु स्थापित 2 संख्या, 2000 के.वी.ए. के दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मरों के प्रतिस्थापन तथा विभिन्न त्रुटियों की स्थिति के संबंध में अवगत कराया।

आई.आई.टी. दिल्ली ने अवगत कराया कि प्रयोगशालाओं के उपयोग के कारण बढ़ते भार को दृष्टिगत रखते हुए ट्रांसफॉर्मरों का प्रतिस्थापन नवीन ट्रांसफॉर्मरों से समयबद्ध तरीके से किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ट्रांसफॉर्मर निर्माता के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

आई.आई.टी. दिल्ली ने 99बी एवं 99सी दोनों खंडों में शेष अथवा पुनरावृत्त त्रुटियों की सूची प्रस्तुत की। यह बलपूर्वक कहा गया कि सभी त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित किया जाए ताकि हस्तांतरण एवं ग्रहण प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके। मुख्य अभियंता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने आश्वासन दिया कि शेष त्रुटियों का भी समयबद्ध निवारण कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

मुख्य अभियंता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने अवगत कराया कि सामान्य कार्यालय फर्नीचर का कार्य कुछ वस्तुओं को छोड़कर पूर्ण हो चुका है तथा सम्मेलन मेज (वस्तु संख्या 16) के प्रतिस्थापन हेतु संस्थान से व्यवस्था करने का अनुरोध किया। यह भी अवगत कराया गया कि फर्नीचर के लिए बिजली कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है।

भवन एवं निर्माण समिति ने नोट किया कि फर्नीचर कार्य एवं बिजली कनेक्शन में विलंब हुआ है। यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन मेज (वस्तु सं. 16) को सी.पी.डब्ल्यू.डी. के निविदा से हटाया जाए। प्रत्युत्तर में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने निधि की कमी को विलंब का कारण बताया। भवन एवं निर्माण समिति को अवगत कराया गया कि फर्नीचर कार्य की प्रगति बनाए रखने हेतु 99बी एवं 99सी से ₹10 करोड़ की राशि जारी की गई है। सामान्य कार्यालय फर्नीचर की खरीद के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹13 करोड़ की राशि जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्देशित किया गया कि समस्त शेष कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर विक्रमशिला अपार्टमेंट्स के समीप स्थित कार्यालय स्थल को खाली करते हुए हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार आई.आई.टी. दिल्ली को हस्तांतरित किया जाए।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. की प्रस्तुति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

[\[https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/XRtR8tPQf4oyq3b\]](https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/XRtR8tPQf4oyq3b)(<https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/XRtR8tPQf4oyq3b>)

3.2 मेसर्स एन.बी.सी.सी. के साथ प्रगति पर कार्य

नालंदा शोधार्थी अपार्टमेंट (चरण-II)

भवन एवं निर्माण समिति को अवगत कराया गया कि मेसर्स एन.बी.सी.सी. द्वारा कार्य 31 मई 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। समिति ने कार्य पूर्ण करने में हुए विलंब पर असंतोष व्यक्त किया तथा मेसर्स एन.बी.सी.सी. को निर्देशित किया कि कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सभी सुधारात्मक उपाय किए जाएँ।

'साथी' भवन का निर्माण - सोनीपत परिसर

मेसर्स एन.बी.सी.सी. ने अवगत कराया कि भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

झज्जर में आई.आई.टी. दिल्ली के विस्तारित परिसर की परिधि दीवार का निर्माण

मेसर्स एन.बी.सी.सी. ने संस्थान को अवगत कराया कि भूमि के सरेंडर संबंधी संस्थान के निर्णय के कारण उक्त कार्य निरस्त कर दिया गया है। तथापि, संस्थान द्वारा मेसर्स एन.बी.सी.सी. से अनुरोध किया गया कि इस कार्य पर अब तक किए गए व्यय का समस्त विवरण उपलब्ध कराया जाए।

एन.बी.सी.सी. की प्रस्तुति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

[\[https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/xmWAnQbx7wiMtGb\]](https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/xmWAnQbx7wiMtGb)(<https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/xmWAnQbx7wiMtGb>)

3.3 मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड के साथ प्रगति पर कार्य

• शैक्षणिक

खंड - 103 का निर्माण

• जे.एन.यू. गेट के समीप संकाय आवास का निर्माण

• टाइप-सी आवास (02 खंड)

• आई.पी. अपार्टमेंट खंडों को ध्वस्त कर पुरुष छात्रावास का निर्माण

• पूर्वी परिसर में 3 संख्या, IIIA खंडों (24 आवास) को ध्वस्त कर महिला छात्रावास का निर्माण

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड ने भवन एवं निर्माण समिति को पैकेज-I एवं पैकेज-II परियोजनाओं हेतु भवनों की वर्तमान स्थिति एवं लेआउट के संबंध में अवगत कराया। निर्णय/संस्तुतियाँ मद-04 में अंकित हैं।

आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड की प्रस्तुति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

[\[https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/6epqdw6mR28ARdk\]](https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/6epqdw6mR28ARdk)(<https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/6epqdw6mR28ARdk>)

मद संख्या 4: मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड को आवंटित परियोजनाओं की लेआउट योजनाओं में परिवर्तन एवं उसके वित्तीय प्रभाव के संबंध में

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड को पाँच निर्माण परियोजनाएँ, जिनमें एक पुरुष छात्रावास, एक महिला छात्रावास, एक सी-टाइप आवास, एक संकाय आवास तथा एक शैक्षणिक खंड सम्मिलित हैं, आवंटित की गई थीं। दिनांक 22/02/2022 को आयोजित भवन एवं निर्माण समिति की 137वीं बैठक की संस्तुति के उपरांत, दिनांक 11/10/2022 को आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 212वीं बैठक में ₹682.80 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई।

01/08/2024 को आयोजित भवन एवं निर्माण समिति की 141वीं बैठक में अवगत कराया गया कि मास्टर प्लान के अनुसार अनुमोदित अधिकतम भवन ऊँचाई 26 मीटर है तथा अनुमान इसी ऊँचाई के आधार पर तैयार किए गए थे। तथापि, आर.आई.टी.ई.एस. के साथ आयोजित आंतरिक परियोजना समीक्षा बैठक में यह चर्चा की गई कि नवीनतम एम.सी.डी. दिशा-निर्देशों के अनुरूप भवन की ऊँचाई 26 मीटर से अधिक की जा सकती है, जिसे समिति द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित किया गया।

141वीं एवं 142वीं बी.&डब्ल्यू.सी. बैठकों में यह भी अवगत कराया गया कि वृक्ष कटान अनुमति आवेदन अस्वीकृत होने के पश्चात् संस्थान ने मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. को व्यवहार्यता अध्ययन करने का अनुरोध किया, जिससे परियोजना के लेआउट को वर्तमान भवन फुटप्रिंट के अनुरूप समायोजित करने की संभावना का अन्वेषण किया जा सके तथा वृक्षों पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड ने पैकेज-I एवं पैकेज-II के अंतर्गत प्रस्तावित सभी भवनों की वैकल्पिक लेआउट योजनाएँ प्रस्तुत कीं, साथ ही ₹682.80 करोड़ की विद्यमान प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के आधार पर वित्तीय प्रभावों के दो विकल्प भी प्रस्तुत किए।

भवन एवं निर्माण समिति ने निर्णय लिया कि सभी प्रस्तावित भवनों का निर्माण अधिकतम अनुमेय ऊँचाई तक किया जाए, साथ ही प्रत्येक पैकेज में विचारित क्षेत्रफल में लगभग 10% तक के सीमित विचलन की अनुमति हो, ताकि संस्थान की तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण किया जा सके।

समिति ने अनुमेय अधिकतम ऊँचाई की सीमा के अधीन वैकल्पिक भवन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। निर्मित क्षेत्रफल का समायोजन इस प्रकार किया जाए कि भविष्य में शेष भाग का विस्तार ऊर्ध्वाधर विस्तार के स्थान पर क्षैतिज विस्तार के माध्यम से किया जा सके।

मेसर्स आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड ने यह भी अवगत कराया कि भवन फुटप्रिंट में परिवर्तन तथा/अथवा भवन की ऊँचाई में परिवर्तन के कारण, निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि से होने वाली लागत वृद्धि के अतिरिक्त, अतिरिक्त व्यय भी वहन करना पड़ सकता है।

भवन एवं निर्माण समिति ने यह भी परामर्श दिया कि भवन योजनाओं के विधिक अनुमोदन हेतु एम.सी.डी. में आवेदन किया जाए तथा डिज़ाइन मिक्स हेतु जल आदि सभी इनपुट सामग्रियों का परीक्षण सुनिश्चित करते हुए स्थल पर कंक्रीट बैच मिक्स संयंत्र स्थापित किया जाए।

मद संख्या 5: आई.आई.टी. दिल्ली में व्यापक आर्किटेक्चरल एवं इंजीनियरी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट्स के पैनल में नामांकन हेतु आर.एफ.पी. में संशोधन।

भवन एवं निर्माण समिति ने नोट किया कि संशोधित आर.एफ.पी. उप-समिति द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया है और आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

मद संख्या 6: आर.के. पुरम परिसर में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण हेतु लेआउट डिज़ाइन और तकनीकी स्वीकृति।

भवन एवं निर्माण समिति को उप-समिति की संस्तुति के बारे में अवगत कराया गया कि कम्पोजिट स्टील कंस्ट्रक्शन को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे हैं जैसे तेज़ निर्माण, लंबा जीवन चक्र और अधिक पुनःउपयोग मूल्य। हालांकि, यह विकल्प पारंपरिक आर.सी.सी. फ्रेम संरचना की तुलना में अधिक लागत वाला होगा और लागत में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जिसे पहले ही बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा ₹90.45 करोड़ पर अनुमोदित किया जा चुका है।

मेसर्स एस.जी.ए. ने भवन एवं निर्माण समिति को विस्तृत बी.ओ.क्यू. प्रस्तुत किया। समिति ने कम्पोजिट स्टील कंस्ट्रक्शन अपनाने और टेंडरिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाने की संस्तुति की। यदि आवश्यक हो, तो टेंडर लागत प्राप्त होने के बाद संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

भवन एवं निर्माण समिति ने मेसर्स एस.जी.ए. को निर्देश दिया कि सभी टेंडर ड्रॉइंग्स अप्रैल के पहले सप्ताह तक समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें, ताकि तकनीकी स्वीकृति जल्द से जल्द प्राप्त की जा सके, और टेंडर 30 अप्रैल 2025 तक फ्लोट किया जाए।

मद संख्या 7: सोनीपत परिसर मास्टर प्लान के लिए मेसर्स बोस ब्रदर्स के साथ विवाद का निपटान।

भवन एवं निर्माण समिति को अवगत कराया गया कि 31 जनवरी 2025 को, मेसर्स बोस ब्रदर्स ने ₹6,53,99,980 + जी.एस.टी. का संशोधित दावा प्रस्तुत किया। भवन एवं निर्माण समिति की उप-समिति और संस्थान के विधिक सलाहकार ने आर्किटेक्ट परामर्शदाता के दावे पर चर्चा की। मेसर्स बोस ब्रदर्स को एक उत्तर जारी किया गया, जिसमें समझौते की समाप्ति हेतु पत्र और 25 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली एक महीने की नोटिस अवधि दी गई। भवन एवं निर्माण समिति ने वस्तु-स्थिति को नोट किया।

मद संख्या 8: 99B और 99C में ट्रांसफॉर्मर की प्रतिस्थापना और दोषों का सुधार।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने विभिन्न दोषों और 99B एवं 99C इंजीनियरी खंडों में स्थापित 2, 2000 के.वी.ए. दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मरों की प्रतिस्थापना की स्थिति के बारे में अवगत कराया, जैसा कि भवन एवं निर्माण समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था। आई.आई.टी. दिल्ली ने यह रेखांकित किया कि प्रयोगशालाओं के उपयोग से बढ़ते लोड के मद्देनज़र, ट्रांसफॉर्मरों की प्रतिस्थापना समयबद्ध तरीके से नए ट्रांसफॉर्मरों के साथ की जानी चाहिए, अन्यथा ट्रांसफॉर्मर के निर्माता के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

मद संख्या 9: आई.आई.टी. दिल्ली के शैक्षणिक क्षेत्र में स्टॉर्म जल नेटवर्क के लिए अनुमानित लागत का अनुमोदन।

भवन एवं निर्माण समिति ने ₹8,61,71,783/- की राशि के लिए निदेशक द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति को नोट किया।

बैठक चेयर को धन्यवाद देने के साथ खत्म हुई।